

परियोजना का नाम:- मा. मुख्य मंत्री घोषणा के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली-बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- रण्डोली, खेती, मालसी,,

तहसील - आदीवट्टी, जिला- चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अर्न्तगत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली-बैनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे. सिविल सोयम भूमि 0.00 हे., वन पंचायत भूमि 7.087 हे.) अर्थात् कुल 7.087 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रण्डोली, खेती, मालसी द्वारा दिनांक 08-1-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रण्डोली, खेती, मालसी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./-

ग्राम सचिव.

ग्राम प्रधान- रण्डोली, खेती, मालसी

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र- 23.1

दिनांक ०८/१/२०१७ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - रण्डोली, खेती, मालसी

क्रमांक

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

- 1:- सर्व. श्री चमणसिंह
- 2:- मदनसिंह
- 3:- गोविन्द सिंह
- 4:- मेहरान सिंह
- 5:- मेहरान सिंह



सुश्री देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
षाई सं० १० मालसी
वि.सं. गैरसैण (खेती)...

अनापत्ति प्रमाण

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली
बेनीताल और मार्ग का जंगल-वाही तक विस्तारीकृत निर्माण
हेतु बेनीताल से जंगल-वाही तक जो संभरेखण किया
गया है वह उचित है



- (1) बलवन्त सिंह
- (2) गेदुन सिंह
- (3) ~~सिंह~~
- (4) ~~सिंह~~
- (5) ~~सिंह~~

शुशीला देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं० 10 मालसी
विधान सभा क्षेत्र (चमोली)

(Jaijibeen Singh)

जैजिबेन सिंह
महाराजगिरि

विशेष

Rajesh
Vinod Singh

आज दि 20-6-18 को ग्राम पंचायत संरक्षक श्री.

विजय सिंह जी अचानक से बहुत आहत हो गये.

निलम निम्न प्रभाव पर ग्राम बांधीयों एवं P.W.D कर्मियों

को आते कर्मचारी देनाथ भाग मुख्य मंत्री धोखा

अ-हर्षितान्तर चलोरी के विचारों पर सेठ कर्मप्रदाग

से दिनेली. वनीरात्र मोरर मणि का जंगल मन्त्री वर

विहारीगण के सामने-ध-ने विचार दिया गया, एवं

सामर्थि से यह निर्दिष्ट किया गया कि उम्ह मणि

से ग्राम खेती की भूमि काही है एवं सामर्थि दमक

तम निम्न गदा कि उम्ह मणि मेरगाम लेती की भूमि

से मणि का विहारीगण दिया पाता है तो ग्राम मणि

को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है,

विजय सिंह

Jaibee

Birendra Singh

देवसिंह

प्रेमसिंह

बलराम सिंह

Rajendra

Kishor

दीप



दीप

राजेश

दीप

दीप



दीप